न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा जिला राजसमंद

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती बिन्दु बाला राजावत, (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या. 105/2022
विषय :– प्रार्थना पत्र
आदेश दिनांक : 21.10.2022

श्रीमती बाली पुत्री लेहरु जी पत्नि रतन जी जाति जाट उम्र वयस्क निवासी मकनपुरीया हाल खुमाखेडा तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद। आधार कार्ड नम्बर 354267616151 मोबाईल नम्बर 9351409800 । प्रार्थीया

बनाम

1. श्री बद्रीलाल पुत्र लेहरु जी जाति जाट उम्र वयस्क निवासी मकनपुरीया तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद।
2. श्री रोशनलाल पुत्र लेहरु जी जाति जाट उम्र वयस्क निवासी मकनपुरीया तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद।
3. श्री भगवानलाल पुत्र लेहरु जी जाति जाट उम्र वयस्क निवासी मकनपुरीया तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद।
4. श्री गोवर्धनलाल पुत्र लेहरु जी जाति जाट उम्र वयस्क निवासी मकनपुरीया तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद।
5. श्री श्रीलाल पुत्र लेहरु जी जाति जाट उम्र वयस्क निवासी मकनपुरीया तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद।
6. श्री शान्तिलाल पुत्र लेहरु जी जाति जाट उम्र वयस्क निवासी मकनपुरीया तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद।
7. श्रीमती सोसर देवी पत्नि स्व लेहरु जी जाति जाट उम्र वयस्क निवासी मकनपुरीया तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद।
8. श्री बालुराम पिता देवकिशन जी जाति जाट उम्र वयस्क निवासी मकनपुरीया तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद।
9. श्रीमती लहरी पत्नि स्व देवकिशन जी जाति जाट उम्र वयस्क निवासी मकनपुरीया तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद।
10. श्रीमती कमलाबाई पुत्री बिहारीदास जी जाति वैरागी (वैषणव) उम्र वयस्क निवासी मकनपुरीया तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद।
11. श्रीमती नोजी बाई पत्नि बिहारीदास जी जाति वैरागी (वैषणव) उम्र वयस्क निवासी मकनपुरीया तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद।
12. श्री भगवानदास पिता बिहारीदास जी जाति वैरागी (वैषणव) उम्र वयस्क निवासी मकनपुरीया तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद।
13. श्रीमती राजीबाई पुत्री बिहारीदास जी जाति वैरागी (वैषणव) उम्र वयस्क निवासी मकनपुरीया तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद।
14. श्री श्यामदास पिता बिहारीदास जी जाति वैरागी (वैषणव) उम्र वयस्क निवासी मकनपुरीया तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद।
15. श्रीमती कालीबाई पुत्री रामचन्द्रदास जी जाति वैरागी (वैषणव) उम्र वयस्क निवासी मकनपुरीया तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद।
16. श्रीमती देजूबाई पुत्री रामचन्द्रदास जी जाति वैरागी (वैषणव) उम्र वयस्क निवासी मकनपुरीया तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद।
17. श्री बद्रीदास पिता रामचन्द्रदास जी जाति वैरागी (वैषणव) उम्र वयस्क निवासी मकनपुरीया तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद।
18. श्री शान्तीदास पिता रामचन्द्रदास जी जाति वैरागी (वैषणव) उम्र वयस्क निवासी मकनपुरीया तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद।
19. श्री चेतनदास पिता शंकरदास जी जाति वैरागी (वैषणव) उम्र वयस्क निवासी मकनपुरीया तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद।
20. श्री मुकेशदास पिता शंकरदास जी जाति वैरागी (वैषणव) उम्र वयस्क निवासी मकनपुरीया तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद।
21. श्रीमती मन्जुदेवी पत्नि शंकरदास जी जाति वैरागी (वैषणव) उम्र वयस्क निवासी मकनपुरीया तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद।
22. श्रीमती हीरा पुत्री शंकरदास जी जाति वैरागी (वैषणव) उम्र वयस्क निवासी मकनपुरीया तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद।
23. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार महोदय रेलमगरा जिला राजसमन्द । विपक्षीगण

प्रार्थना – पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :–
प्रार्थी की ओर से :– अधिवक्ता श्री लादूलाल जाट।
विपक्षी की ओर से :– अधिवक्ता श्री आर.के. जोशी।

निर्णय

दिनांक 29.01.2026

प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन कि विपक्षीगण के विरुद्ध सच्चे ऐव ठोस आधारो पर आप न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है जिसमें प्रार्थीया को सफलता मिलने की पूर्ण सम्भावना हैं। प्रार्थीया का प्रथम दृष्टया मामला हाकर सुविधा सन्तुलन भी प्रार्थीया के पक्ष में है यदि प्रार्थीया के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की गई तो प्रार्थीया को अपुर्णनीय क्षति कारीत होगी जिसकी पुर्ति नकदी में भी सम्भव नही होगी व प्रार्थीया अपने हक अधिकारो से वंचित हो जायेगा इसके विपरित विपक्षीगण के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने की अवस्था में विपक्षीगण को किसी प्रकार की क्षति नही होगी। राजस्व ग्राम मकनपुरीया पटवार हल्का कांबरा तहसील क्षेत्र रेलमगरा में निम्न कृषि आराजीयात स्थित है जिनका विवरण निम्न है राजस्व ग्राम मकनपुरीया के खाता संख्या 29, 28, 34, 30 स्थित है। प्रार्थीया एवं विपक्षी संख्या 1 से लगायत 7 के परिवार का परिवारीक सजरा निम्न प्रकार है रू–

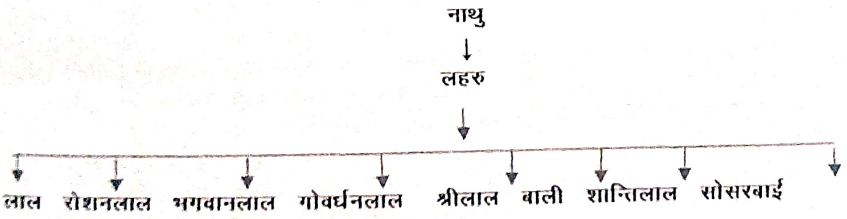

प्रार्थीया व विपक्षी संख्या 1 से लगायत 7 के पूर्वज मुल पुरुष लहरु पिता नाथु जी थे लहरु जी की मृत्यु के उपरान्त लहरु जी की समस्त भुमिया लहरु जी के समस्त प्रथम अनुसुची के वारिसानो (छः पुत्र क्रमशः बद्रीलाल रोशनलाल भगवानलाल

सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी)

गोवर्धनलाल श्रीलाल व शान्तिलाल एंव पुत्री बाली एंव पत्नि सोसरबाई) को हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के तहत वादग्रस्त भुमिया उतराधिकार में प्राप्त हुई जिसमें लहरु जी के समस्त वारिसान का बराबर का हिस्सा निहित है। प्रार्थीया लहरु पिता नाथु की जायन्दा पुत्री है एंव विपक्षी संख्या 1 से लगायत 6 लेहरु पिता नाथ की जायन्दा पुत्र है एंव विपक्षी संख्या 7 लेहरु पिता नाथु की पत्नि है। विपक्षी संख्या 6 शान्तिलाल लहरु जी का विधिक वारीसान है लहरु जी की मृत्यु के समय विपक्षी संख्या 6 शान्तिलाल काफी छोटा नाबालीग था ग्राम पंचायत व पटवारी हल्का ने वादग्रस्त भुमियो में नाम अंकित नहीं किया विपक्षी संख्या 6 शान्तिलाल लहरु जी का विधिक वारिसान है जिससे उसको पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थनापत्र वर्णित भुमिया ग्राम मकनपुरीया में स्थित है जो प्रार्थीया व विपक्षी संख्या 1 से लगायत 7 के संयुक्त स्वामित्व एंव आधिपत्य की होकर के पैतृक एंव मौरुसी कृषि भुमिया है वादग्रस्त कृषि भुमिया प्रार्थीया व विपक्षी संख्या 1 से लगायत 6 को अपने पिता लहरु जी से विरासत में प्राप्त हुई व विपक्षी संख्या 7 को अपने पति लहरु जी से विरासत में प्राप्त हुई लहरु जी की मृत्यु के उपरान्त ग्राम पंचायत व पटवारी हल्का कावरा ने लहरु जी के समस्त वारिसानो की जाँच किये बिना वाले–वाले बद्रीलाल रोशनलाल भगवानलाल गोवर्धनलाल श्रीलाल व सोसर के नाम पर नामान्तकरण संख्या 08 निर्णित कर दिया जो प्रार्थीया के मुकाबले प्रारंभ से ही शुन्य होकर रद्ध, बेअसर है ग्राम पंचायत व पटवारी हल्का कावरा को लहरु जी के समस्त वारिसानो की जावें कर लहरु जी के समस्त वारिसानो के नाम पर नामान्तकरण निर्णित करना चाहीये था बद्रीलाल रोशनलाल भगवानलाल गोवर्धनलाल श्रीलाल व सोसर ने ग्राम पचायत संरपच व पटवारी हल्का कावरा से मिलि भगत कर षडयन्त्र पुर्वक, फर्जी तरिके से अपने नाम पर नामान्तकरण निर्णित करवा दिया जबकी ग्राम पंचायत कावरा को लहरु जी के समस्त वारिसानो की जाँच कर लहरु जी के छः पुत्र कंमशः बद्रीलाल रोशनलाल भगवानलाल गोवर्धनलाल, श्रीलाल व शान्तिलाल एंव पुत्री बाली एंव पत्नि सोसरबाई सभी के नाम पर नामान्तकरण निर्णित करना चाहीये था। प्रार्थीया लहरु जी की प्रथम अनुसुची की वारिसान होकर लहरु जी की जायन्दा पुत्री होने से प्रार्थनापत्र की कलम 3 में वर्णित मुमियो में प्रार्थीया का 1/8 हिस्सा प्रारम्भ से ही निहित है पुत्रीयो का अपने पिता की सम्पतियो में जन्म से अधिकार प्राप्त हो जाता है जिससे प्रार्थीया को अपने पिता लहरु जी की सम्पतियो में जन्म से ही अधिकार उत्पन्न हो गया था जिससे प्रार्थीया का वादपत्र की कलम संख्या 3 में वर्णित भुमियो में 1/8 हिस्सा है विपक्षी संख्या 1 बद्रीलाल का 1/8 हिस्सा, विपक्षी संख्या 2 रोशनलाल का 1/8 हिस्सा, विपक्षी संख्या 3 भगवानलाल का 1/8 हिस्सा व विपक्षी संख्या 4 गोवर्धनलाल का 1/8 हिस्सा, विपक्षी संख्या 5 श्रीलाल का 1/8 हिस्सा, विपक्षी संख्या 6 शान्तिलाल का 1/8 हिस्सा, विपक्षी संख्या 7 सोसरबाई का 1/8 हिस्सा निहित था ग्राम पंचायत ने लहरु जी के समस्त वारिसानो की जॉच किये बिना फर्जी व गलत तरिके से बद्रीलाल, रोशनलाल, भगवानलाल, गोवर्धनलाल, श्रीलाल व सोसर के नाम पर नामान्तकरण निर्णित कर देने से विपक्षी संख्या 1 से लगायत 5 व 7 प्रत्येक का 1/6 हिस्सा गलत अकिंत कर दिया उसे विलोपित फरमाय जावें इस प्रकार वादपत्र की कलम संख्या 3 मे वर्णित भुमियो में प्रार्थीया का 1/8 हिस्सा व विपक्षी संख्यां 1 से लगायत 7 प्रत्येक का 1/8–1/8 हिस्सा घोषित फरमाया जावें। प्रार्थीया लहरु जी की प्रथम अनुसुची की वारिसान होकर लहरु जी की जायन्दा पुत्री होने से वाद पत्र की कलम 4 में वर्णित भुमियो में प्रार्थीया का 1/8 हिस्सा प्रारम्भ से ही निहित है पुत्रीयो का अपने पिता की सम्पतियो में जन्म से अधिकार प्राप्त हो जाता है जिससे प्रार्थीया को अपने पिता लहरु जी की सम्पतियो में जन्म से ही अधिकार उत्पन्न हो गया था जिससे प्रार्थीया का वादपत्र की कलम संख्या 4 में वर्णित भुमियो में 1/8 हिस्सा है विपक्षी संख्या 1 बद्रीलाल का 1/8 हिस्सा, विपक्षी संख्या 2 रोशनलाल का 1/8 हिस्सा, विपक्षी संख्या 3 भगवानलाल का 1/8 हिस्सा व विपक्षी संख्या 4 गोवर्धनलाल का 1/8 हिस्सा, विपक्षी संख्या 5 श्रीलाल का 1/8 हिस्सा, विपक्षी संख्या 6 शान्तिलाल का 1/8 हिस्सा, विपक्षी संख्या 7 सोसरबाई का 1/8 हिस्सा निहित था ग्राम पंचायत ने लहरु जी के समस्त वारिसानो की जाँच किये बिना फर्जी व गलत तरिके से बद्रीलाल, रोशनलाल, भगवानलाल, गोवर्धनलाल, श्रीलाल व सोसर के नाम पर नामान्तकरण निर्णित कर देने से विपक्षी संख्या 1 से लगायत 5 व 7 प्रत्येक का 1/6 हिस्सा गलत अकिंत कर दिया उसे विलोपित फरमाया जावें प्रार्थनापत्र की कलम संख्या 4 में वर्णित भुमीयो में रोशनलाल 1/8 हिस्सा ही था लेकिन रोशनलाल के नाम पर 1/6 हिस्सा गलत दर्ज हो जाने से 1/6 हिस्सा रोशनलाल ने जरिये रजिस्टर्ड विकयपत्र के जरिये विपक्षी संख्या 3 भगवानलाल को विक्रय कर दिया जो प्रार्थीया के मुकाबले प्रारंभ से ही शुन्य होकर रद्ध, बेअसर है (।इ प्दपजपवदअवपक) है रोशनलाल का वादपत्र की कलम संख्या 4 में वर्णित भुमियो में 1/8 हिस्सा ही था भगवानलाल को 1/6 हिस्सा विकय करने का रोशनलाल को कोई हक अधिकार नही था रोशनलाल ने अपने 1/8 हिस्से से अधिक भुमि 1/24 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3 भगवानलाल को विकय की उसे विलोपित फरमाया जावे इस प्रकार वादपत्र की कलम संख्या 2 मे वर्णित भुमियो में प्रार्थीया का 1/8 हिस्सा व विपक्षी संख्यां 1 व 4 से लगायत 7 प्रत्येक का 1/8–1/8 हिस्सा एंव विपक्षी संख्यां 3 का का 1/6 हिस्सा घोषित फरमाया जावें। प्रार्थीया लहरु जी की प्रथम अनुसुची की वारिसान होकर लहरु जी की जायन्दा पुत्री होने से प्रार्थनापत्र की कलम 5 में वर्णित भुमियो में प्रार्थीया का 1/16 हिस्सा प्रारम्भ से ही निहित है पुत्रीयो का अपने पिता की सम्पतियो में जन्म से अधिकार प्राप्त हो जाता है जिससे प्रार्थीया को अपने पिता लहरु जी की सम्पतियो में जन्म से ही अधिकार उत्पन्न हो गया था जिससे प्रार्थीया का वादपत्र की कलम संख्या 5 में वर्णित भुमियो में 1/16 हिस्सा है विपक्षी संख्या 1 बद्रीलाल का 1/16 हिस्सा, विपक्षी संख्या 2 रोशनलाल का 1/16 हिस्सा, विपक्षी संख्या 3 भगवानलाल का 1/16 हिस्सा व विपक्षी संख्या 4 गोवर्धनलाल का 1/16 हिस्सा, विपक्षी संख्या 5 श्रीलाल का 1/16 हिस्सा, विपक्षी संख्या 6 शान्तिलाल का 1/16 हिस्सा, विपक्षी संख्या 7 सोसरबाई का 1/16 हिस्सा निहित था। ग्राम पंचायत ने लहरु जी के समस्त वारिसानो की जाँच किये बिना फर्जी व गलत तरिके से बद्रीलाल, रोशनलाल, भगवानलाल, गोवर्धनलाल, श्रीलाल व सोसर के नाम पर नामान्तकरण निर्णित कर देने से विपक्षी संख्या 1 से लगायत 5 व 7 प्रत्येक का 1/12 हिस्सा गलत अकिंत कर दिया उसे विलोपित फरमाय जावें इस प्रकार प्रार्थनापत्र की कलम संख्या 5 मे वर्णित भुमियो में प्रार्थीया का 1/16 हिस्सा व विपक्षी संख्यां 1 से लगायत 7 प्रत्येक का 1/16–1/16 हिस्सा विपक्षी संख्यां 8 व 9 प्रत्येक का 1/4–1/4 हिस्सा घोषित फरमाया जावें। वादीया लहरु जी की प्रथम अनुसूची की वारिसान होकर लहरु जी की जायन्दा पुत्री होने से वाद पत्र की कलम 6 में वर्णित भुमियो में वादीया का 1/16 हिस्सा प्रारम्भ से ही निहित है पुत्रीयो का अपने पिता की सम्पतियो में जन्म से अधिकार प्राप्त हो जाता है जिससे प्रार्थीया को अपने पिता लहरु जी की सम्पतियो में जन्म से ही अधिकार उत्पन्न हो गया था जिससे प्रार्थीया का वादपत्र की कलम संख्या 6 में वर्णित भुमियो में 1/16 हिस्सा है विपक्षी संख्या 1 बद्रीलाल का 1/16 हिस्सा, विपक्षी संख्या 2 रोशनलाल का 1/16 हिस्सा, विपक्षी संख्या 3 भगवानलाल का 1/16 हिस्सा व विपक्षी संख्या 4 गोवर्धनलाल का 1/16 हिस्सा, विपक्षी संख्या 5 श्रीलाल का 1/16 हिस्सा, विपक्षी संख्या 6 शान्तिलाल का 1/16 हिस्सा, विपक्षी संख्या 7 सोसरबाई का 1/16 हिस्सा निहित था ग्राम पंचायत ने लहरु जी के समस्त वारिसानो की जॉच किये बिना फर्जी व गलत तरिके से बद्रीलाल, रोशनलाल, भगवानलाल, गोवर्धनलाल, श्रीलाल व सोसर के नाम पर नामान्तकरण निर्णित कर देने से प्रतिवादी संख्या 1 से लगायत 5 व 7 प्रत्येक का 1/12 हिस्सा गलत अकिंत कर दिया उसे विलोपित फरमाय जावें इस प्रकार वादपत्र की कलम संख्या 6 मे वर्णित भुमियो में प्रार्थीया का 1/16 हिस्सा व विपक्षी संख्यां 1 से लगायत 7 प्रत्येक का 1/16–1/16 हिस्सा विपक्षी संख्यां 10 से लगायत 14 प्रत्येक का 1/24–1/24 हिस्सा विपक्षी संख्यां 15 से लगायत 18 प्रत्येक का 1/16–1/16 हिस्सा विपक्षी संख्यां 19 से लगायत 22 प्रत्येक का 1/96–1/96 हिस्सा घोषित फरमाया जावें। यह कि वादपत्र की कलम संख्या 3 से लगायत 6 में वर्णित भूमियां प्रार्थीया एवं विपक्षी संख्या 1 से लगायत 7 की मौरूसी होकर पैतृक है जिसमें प्रार्थीया एवं विपक्षी संख्या 1 से लगायत 7 का विधि अनुरूप हक हिस्सा निहित है। लेकीन ग्राम पचायत व पटवारी हल्का व अन्य व्यक्ति द्वारा मिली भगत

सहायक कलक्टर

करके गलत रूप से नामान्तकरण निर्गित कर देने से विपक्षी संख्या 1 से लगायत 6 व 7 के नाम पर गलत कोण दर्ज हो जाने से अन्य व्यक्ति को विक्रय करने पर उतारू है जबकि मौके पर प्रार्थीया अपने हिस्सेनुसार काबिज होकर उपभोग-उपयोग कर रही है प्रार्थीया को विपक्षी संख्या 1 से लगायत 7 द्वारा मौके से बेदखल करना चाहते है जिससे प्रार्थीया को विपक्षी संख्या 1 से लगायत 7 मौके से बेदखल नही करे न ही प्रार्थीया के उपयोग-उपभोग में बाधा, दखलन्दाजी कारित करे विपक्षी संख्या 1 से लगायत 7 को उपरोक्त तथ्यों की पूर्ण रूप से जानकारी है कि प्रार्थीया उक्त वादग्रस्त भूमि पर वैध रूपेण काबिज है तथा उक्त भूमियां प्रार्थीया के स्वामित्व आधिपत्य एवं हक अधिकार की है इसके बावजुद कुछ भूमाफियों के प्रभाव के चलते विपक्षी संख्या 1 से लगायत 7 बिना किसी अधिकार के प्रार्थीया को उक्त भूमि से बेदखल करने पर आमदा है जिसका विपक्षी संख्या 1 से लगायत 7 को कोई हक अधिकार नही है। प्रार्थीया द्वारा निवेदन के बावजुद भी विपक्षी संख्या 1 से लगायत 7 उक्त अवैध कृत्य करने पर आमदा है ऐसी स्थिति प्रार्थीया के पक्ष में एव विपक्षी संख्या 1 से लगायत 7 के विरूद्ध इस आश्य की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि विपक्षी संख्या 1 से लगायत 7 प्रार्थनापत्र की कलम संख्या 3 से लगायत 6 में वर्णित भूमियों में प्रार्थीया के स्वामित्व आधिपत्य की है उसमें प्रार्थीया के उपयोग-उपभोग व कब्जे में किसी प्रकार की बाधा, रूकावट, दखलन्दाजी कारित नही करे एवं भूमियों को अन्य किसी व्यक्ति, संस्था आदि को अन्तरित नही करे न ही रहन, बह. बक्षीस करे, राजस्व रेकार्ड व मौके की यथा स्थिति बनाऐ रखे इस बाबत् प्रतिवादीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित फरमाया जावे। 17. यह कि विपक्षी संख्या 8 राज्य सरकार भूमिधारक होने से एवं राज्य सरकार के प्रतिनिधि होने से इनके द्वारा त्रुटिपूर्ण अंकन किया गया। जिससे उनको पक्षकार बनाया गया है एवं अन्यथा राज्य सरकार के विरूद्ध कोई सहायता नही चाही गई है। वादीया का वादपत्र हेतु दिनांक 08/09/2022 को वादीया को प्रतिवादी संख्या 1 से लगायत 7 ने वादग्रस्त भूमियो को अन्य व्यक्ति को विक्रय करने की बात सुनी एवं वादीया को वादग्रस्त भूमियों से बेदखल करने की धमकिया दी तब से वादीया को वादपत्र प्रस्तुत करने का हेतुक उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। वादग्रस्त भूमिया राजस्व ग्राम मकनपुरीया पटवार हल्का काबरा तहसील क्षेत्र रेलमगरा में स्थित होने से वाद पत्र का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार न्यायालय आपको है। वादीया का वाद मुल्यांकन की दृष्टि से वाद मुल्यांकन 1 लाख रूपये कायम किये जाकर निश्चित न्याय शुल्क 2 रूपये पर प्रस्तुत है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थीया का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीया के पक्ष में एंव विपक्षीगण के दिरुद्ध ताफैसला मुलवाद के निस्तारण तक इस आश्य की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावें की विपक्षी संख्या 1 से लगायत 7 को प्रार्थीया के उपयोग उपभोग व कब्जे में किसी प्रकार की बाधा, रूकावट, दखलन्दाजी कारित नही करे एवं भूमियों को अन्य किसी व्यक्ति, संस्था आदि को अन्तरित नही करे न ही रहन, बह, बक्षीस करे, राजस्व रेकार्ड व मौके की यथा स्थिति बनाऐ रखे इस बाबत् विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित फरमाया जावे। ताईद में प्रार्थी का शपर्थपत्र प्रस्तुत है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षीगण को नोटिस तलब किये गये। विपक्षीगण के नोटिस बाद तामील प्राप्त हुए। विपक्षी संख्या 2, 5 व 7 की ओर से अधिवक्ता श्री आर.के.जोशी ने वकालतनामा मय जवाब पेश किया गया। जो शा. फा.। शेष विपक्षीगण अनुपस्थित। इनको बार – बार आवाज दिलवाई। बावजूद सूचना अनुपस्थित इनके विरूद्ध कार्यवाही एक – तरफा की गई। विपक्षी संख्या 2, 5 व 7 की ओर से पेश जवाब निम्नानुसार है – 1. यह कि वादपत्र की कलम संख्या 1 का विवरण सही होकर स्वीकार्य है। 2. यह कि वादपत्र की कलम संख्या 2 का विवरण सही होकर स्वीकार्य है। 3. यह कि वादपत्र की कलम संख्या 3 का विवरण सही होकर स्वीकार्य है। 4. यह कि वादपत्र की कलम संख्या 4 का विवरण सही होकर स्वीकार्य है। 5. यह कि वादपत्र की कलम संख्या 1 का विवरण सही होकर स्वीकार्य है 6. यह कि वादपत्र की कलम संख्या 1 का विवरण सही होकर स्वीकार्य है। 7. यह कि वादपत्र की कलम संख्या 1 का विवरण सही होकर स्वीकार्य है। 8. यह यह कि वादपत्र की कलम संख्या 1 का विवरण सही होकर स्वीकार्य है। 9. यह कि वादपत्र की कलम संख्या 1 का विवरण सही होकर स्वीकार्य है। 10. यह यह कि वादपत्र की कलम संख्या 1 का विवरण सही होकर स्वीकार्य है। 11. यह कि वादपत्र की कलम संख्या 1 का विवरण सही होकर स्वीकार्य है। 12. यह यह कि वादपत्र की कलम संख्या 1 का विवरण सही होकर स्वीकार्य है। 13. यह कि यह कि वादपत्र की कलम संख्या 1 का विवरण सही होकर स्वीकार्य है। 14. यह कि वादपत्र की कलम संख्या 1 का विवरण सही होकर स्वीकार्य है। 15. यह कि वादपत्र की कलम संख्या 1 का विवरण कानूनी होकर जॉच से सम्बधित है। 16. यह कि वादपत्र की कलम संख्या 1 का विवरण कानुनी होकर जॉच से सम्बधित है। 17. यह कि वादपत्र की कलम संख्या 1 का विवरण कानुनी होकर जॉच से सम्बधित है। 18. यह कि वादपत्र की कलम संख्या 1 का विवरण कानुनी होकर जॉच से सम्बधित है। 19. यह कि वादपत्र की कलम संख्या 1 का विवरण कानुनी होकर जॉच से सम्बधित है। अधिवक्ता पक्षकारान् की बहस सुनी गई। 20. यह कि वादपत्र की कलम संख्या 1 का विवरण कानुनी होकर जॉच से सम्बधित है। अधिवक्ता पक्षकारान् की बहस का अवलोकन

पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज, विपक्षीगण का जवाब एवं अधिवक्ता पक्षकारान् की बहस का अवलोकन करने से जाहिर आया है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र सारहीन होने के कारण अस्वीकार जाना उचित प्रतीत होता है। अतः आदेश दिया जाता है कि –

:: आदेश ::

प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को सारहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह निर्णय आज दिनांक 29.01.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बिन्दु बाला राजावत, RAS)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड
अधिकारी रेलमगरा (राजसमंद)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा